न्यायालय सहायक कलक्टर आमेर मु॰ जयपुर

फर्द अहकाम

म न्यायालय

अवधबिहारी **बनाम** हमीरसिंह वगै॰

स संख्या 105/2022

संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
	6/12/2022	पत्रावली प्रस्तुत। व॰फ॰ उप॰। प्रार्थी अधिवक्ता की प्रा॰पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा पर बहस सुनी गई। पत्रावली वास्ते आदेश दिनांक 8/12/2022 को पेश हो। [हस्ताक्षर] सहायक कलक्टर आमेर मु॰ जयपुर	[हस्ताक्षर]
	8/12/2022	पत्रावली प्रस्तुत। व॰फ॰ उप॰। पत्रावली पूर्वानुसार वास्ते आदेश प्रा॰पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा हेतु दिनांक 12/12/2022 को पेश हो। [हस्ताक्षर]	
	12/12/22	पत्रावली [illegible] दिनांक 12/12/22 को पेश हुई। [illegible] आर एसो. जयपुर द्वारा [illegible] पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 22/12/22 को पेश हो। सहायक कलक्टर आमेर मु॰ जयपुर	
	22/12/2022	पत्रावली प्रस्तुत। व॰फ॰ उपस्थित। समय अभाव के कारण आदेश जारी नहीं किये जा सके अतः पत्रावली वास्ते आदेश दिनांक 28/12/2022 को पेश हो। [हस्ताक्षर] सहायक कलक्टर आमेर मु॰ जयपुर	
	28/12/2022	पत्रावली प्रस्तुत। व॰फ॰ उपस्थित। प्रा॰पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा खारिज किया जाता है विस्तृत निर्णय पृथक से लिखवाया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। [हस्ताक्षर]	

सहायक कलक्टर आमेर मु॰ जयपुर

न्यायालय :– सहायक कलेक्टर आमेर, मुख्यालय जयपुर (राज.)

पीठासीन अधिकारी : श्री सुनील शर्मा
आर.ए.एस.

अवध बिहारी बनाम हमीर सिंह वगै

...क संख्या 114 / 2022 प्रस्तुति दिनांक : 28.10.2022

...बिहारी पुत्र स्व. श्री घनश्याम दास, जाति महाजन, निवासी सी-2 ए. ...नगर, ...तान्वी पेट्रोल पम्प के पास, झोटवाड रोड, बनीपार्क जयपुर।

———प्राथीगण

बनाम

1. ...मीर सिंह पुत्र अर्जुन सिंह
2. ...क्ष्मण सिंह पुत्र अर्जुन सिंह

निवासीगण 41, बस्ती सीतारामपुरा, झोटवाडा रोड, जयपुर।

प्रार्थना पत्र बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा

उपस्थिति :–

1. श्री वीरेन्द्र सिंह शेखावत, अभिभाषक प्रार्थी की ओर से
2. श्री पंकज खन्ना, अभिभाषक अप्रार्थी संख्या 1, 2 की ओर से

दिनांक : 28.12.2022

निर्णय

हस्तगत प्रार्थना पत्र मे प्रार्थी द्वारा अंकित किया ... कि वाद ग्राम मोहूकावास, तहसील आमेर स्थित भूमि खसरा नम्बर 185 रकबा 0.3160 हैक्टेयर का प्रार्थी रिकॉर्डेड खातेदार काश्तकार है और काबिज रहकर उपयोग उपभोग कर रहा है ... जमाबन्दी की प्रति प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न है, अप्रार्थीगण का वादग्रस्त भूमि से कोई सम्बन्ध सरोकार नहीं है। अप्रार्थीगण की खातेदारी की भूमि प्रार्थी की भूमि के उत्तरी दिशा में स्थित है, परन्तु अप्रार्थीगण येन–केन–प्रकारेण प्रार्थी की जमीन पर ताकत के बल पर जबरन कब्जा करने के प्रयास करते रहते है। प्रार्थी की उक्त खातेदारी की भूमि खसरा नम्बर 185 के चारों तरफ ...डोलीवाल है जिसे तोडकर अप्रार्थीगण ने

सहायक कलक्टर
आमेर मु. जयपुर

दिनांक 18.10.2022 को नींव खोदकर पक्का निर्माण कार्य करना आरम्भ कर दिया जब अप्रार्थीगण के इस कृत्य पर प्रार्थी ने उन्हें ऐसा करने से मना किया तो उन्होनें प्रार्थी से लडाई झगडा करते हुए धमकी दी कि हम तो निर्माण कार्य करेगें, तुमसे रोका जा सके तो रोक लो, तुम्हें इस जमीन का शान्तिपूर्वक उपयोग उपभोग नही करने देगें। दिनांक 18.10.2022 की घटना से यह स्पष्ट हो गया कि अप्रार्थीगण येन–केन–प्रकारेण प्रार्थी की भूमि पर कब्जा करने की गरज से निर्माण कार्य कर लेगें, इस कारण प्रार्थी को अप्रार्थीगण के विरुद्ध यह वाद एवं प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करना आवश्यक हो गया है। दिनांक 18.10.2022 की घटना के बाद अप्रार्थीगण ने मौके पर निर्माण कार्य करने की गति ओर बढ़ा दी है, यदि उन्हें प्रार्थी की भूमि खसरा नम्बर 185 रकबा 0.3160 हैक्टेयर पर निर्माण कार्य करने से नहीं रोका गया तो न केवल वादग्रस्त भूमि पर निर्माण कर कृषि से अकृषि भूमि में परिवर्तन कर देगें बल्कि निर्माण की आड में प्रार्थी को उसकी खातेदारी भूमि से जबरन बेदखल कर देगें, ऐसी स्थिति में प्रार्थी के लिए अप्रार्थीगण के विरुद्ध इस आशय की अस्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करना आवश्यक हो गया है कि वें प्रार्थी की खातेदारी की भूमि खसरा नम्बर 185 रकबा 0.3160 हैक्टेयर पर अथवा उसके किसी भू–भाग पर किसी प्रकार का निर्माण कार्य नही करें, ना ही प्रार्थी के शान्तिपूर्वक उपयोग उपभोग में बाधा कारित करें, ना प्रार्थी को उससे बेदखल करें, ऐसा ना तो वें स्वयं करें, ना अन्यं से करावें। अप्रार्थीगण को वादग्रस्त भूमि पर निर्माण कार्य करने अथवा उससे प्रार्थी को जबरन बेदखल करने से नहीं रोका गया तो ना केवल प्रार्थी अपने हित व अधिकारों से वंचित हो जायेगा बल्कि उसे ऐसी क्षति कारित होगी जिसका मूल्यांकन अर्थ में सम्भव नही होगा जबकि वाद एवं प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा का मूल उद्देश्य ही समाप्त हो जायेगा। अप्रार्थीगण उपरोक्त घटना के बाद बार – बार मौके पर आते है और प्रार्थी की खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 185 रकबा 0. 3160 हैक्टेयर पर जबरन निर्माण की कोशिश में है, इसलिए भी अप्रार्थीगण को अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाना आवश्यक है। प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थी के पक्ष में सुदृढ है तथा सुविधा का

सहायक कलक्टर
आमेर नं० जयपुर

संतुलन भी प्रार्थी के हित एवं कानूनी अधिकारों की रक्षा करने में है। अतः प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अप्रार्थीगण को ता फैसला मूल वाद इस आशय की अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे कि वें प्रार्थी की खातेदारी की भूमि खसरा नम्बर 185 रकबा 0. 3160 हैक्टेयर पर अथवा उसके किसी भू–भाग पर किसी प्रकार का निर्माण कार्य नही करें, ना ही प्रार्थी के शान्तिपूर्वक उपयोग उपभोग में बाधा कारित करें, ना प्रार्थी को उससे बेदखल करें, ऐसा ना तो वें स्वयं करें, ना अन्य से करावें।

उपरोक्त प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर नियमानुसार दर्ज रजिस्टर किया गया एवं अप्रार्थीगण की तलबी की गई। अप्रार्थी संख्या 1, 2 ने दिनांक 25.11.2022 को जवाब प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किया जिसमें अंकित किया है कि प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र में यह तथ्य अंकित नही किया है कि दिनाक 12–05–1980 को स्व. केशव राय तिवाडी ने हमीर सिंह के साथ एक इकरारनामा निष्पादित किया था जिसमें खसरा नंबर 46, 47, व 48 कृषि भूमि स्थित ग्राम मोटू का वास तहसील आमेर जिला जयपुर को बेचान करने बाबत किया था जिसमें प्रतिफल राशि 30,000/– रूपये अक्षरे तीस हजार रूपये तय पायी थी तथा इकरारनामा के दिन 11,000/– रूपये अक्षरे ग्यारह हजार रूपये नकद प्राप्त कर लिये थे तथा शेष राशि बरवक्त रजिस्ट्री अदा की जानी थी जिसका विवरण विशेष कथन में दर्ज है। हमीर सिंह खसरा नंबर 185 रकवा 0.3160 हैक्टेयर भूमि पर विधिक रूप से काबिज है तथा हमीर सिंह आसाम में निवास करते है जिस कारण प्रार्थी का यह लिखा जाना कि हमीर सिंह झगडालू प्रवृति का व्यक्ति है असत्य व बनावटी होने के कारण पूर्णतया अस्वीकार है तथा अवधबिहारी तांबी व रूकमणी देवी का उक्त भूमि पर कभी भी कब्जा नही रहा है तथा वर्ष 1980 से हमीर सिंह उक्त भूमि पर काबिज है तथा उक्त भूमि पर बनी दुकानो व मकान में व अन्य भूमि पर किरायेदार आबाद है जिस कारण भी प्रार्थी का यह कथन कि हमीर सिंह ने वादग्रस्त भूमि के कुछ भाग पर कब्जा कर लिया पूर्णतया असत्य व बनावटी होने के कारण अस्वीकार है तथा प्रथम दृष्टया कभी भी प्रार्थी का कब्जा या रूकमणी देवी का कब्जा वादग्रस्त भूमि पर नही

सहायक कलक्टर
आमेर प्र. जयपुर

रहा। यह कि ऐसा प्रतित होता है कि प्रार्थी ने वादग्रस्त भूमि की रजिस्ट्री रुकमणी देवी से इस आशय से करवाई है कि प्रार्थी येन–केन प्रकारेण वादग्रस्त भूमि पर हथिया सके जबकि रुकमणी देवी के पास कभी भी वादग्रस्त भूमि का कब्जा नही रहा था जिस कारण प्रार्थी को कोई कब्जा कभी भी प्राप्त नही हुआ। वादग्रस्त भूमि पर जब 1980 से हमीर सिंह का कब्जा है तो किसी भी प्रकार की शांति भंग होने की संभावना ही उत्पन्न नही होती है ना ही किसी प्रकार की जान माल की हानि होने की संभावना है तथा प्रार्थी ने मात्र न्यायालय को गुमराह करने के आशय से तथा वास्तविक तथ्य छिपाकर यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। प्रार्थना पत्र का मद नंबर – 1 जिस प्रकार से वर्णित किया गया है गलत व असत्य होने से अस्वीकार है। प्रार्थी ने गलत व असत्य तथ्यों के आधार पर दावा प्रस्तुत किया है जो खारिज किये जाने योग्य है। यह कि प्रार्थना पत्र का मद नंबर 2 जिस प्रकार से तहरीर व तकमील किया गया है तथा प्रार्थी ने जिस बदनियती से सब तथ्यों की जानकारी होते हुये अपने हक में वादग्रस्त भूमि की रजिस्ट्री करवाई है पूर्णतया अवैध है तथा जिसको निरस्त करने की कार्यवाही अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, कम 5, जयपुर के यहां लंबित है तथा जब हमीर सिंह वर्ष 1980 से वादग्रस्त भूमि पर शांतिपूर्वक तरीके से काबिज है तो किसी प्रकार की कोई भी नुकस–ए अमन होने की संभावना नही है। यहां यह उल्लेख करना भी आवश्यक है कि प्रार्थी का वादग्रस्त भूमि पर कभी भी कोई कब्जा नही रहा है ना ही आज की तारीख में कोई कब्जा है। यह कि प्रार्थना पत्र का मद नंबर 3 असत्य व बनावटी होने के कारण अस्वीकार है तथा अप्रार्थी हमीर सिंह वर्ष 1980 से वादग्रस्त भूमि पर काबिज है तथा वर्तमान में भी हमीर सिंह ही काबिज है तथा प्रार्थी न्यायालय से वास्तविक तथ्यों को छिपाकर प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है तथा स्वच्छ हाथो से माननीय न्यायालय के समक्ष उपस्थित नही आया है। यह कि प्रार्थना पत्र का मद नंबर 4 असत्य व बनावटी होने के कारण अस्वीकार है। जब प्रार्थी का वादग्रस्त भूमि पर कब्जा रहा ही नही तो उसे बेदखल करने का प्रश्न ही उत्पन्न नही होता है। यह कि प्रार्थना पत्र का मद नंबर 5 असत्य व बनावटी होने के कारण अस्वीकार तथा खसरा

सहायक कलक्टर
आमेर मु० जयपुर

नंबर 185 पर पूर्ण रूप से हमीर सिंह काबिज है जिसकी पुष्टि प्रार्थी द्वारा दायर शिकायत पर ए. डी. एम. जयपुर दक्षिण, के यहां लंबित 145 दण्ड प्रक्रिया संहिता में चल रही कार्यवाही से साबित होती है जिसमें ए. डी. एम. जयपुर द्वारा मौके की रिपोर्ट मंगाये जाने पर वादग्रस्त भूमि पर अप्रार्थी– हमीर सिंह का कब्जा वर्ष 1980 से बताया गया है। प्रार्थना पत्र का मद नंबर 6 असत्य व बनावटी होने के कारण अस्वीकार है जिसका विस्तृत जवाव प्रारम्भिक आपत्तियाँ व विशेष कथन में दर्ज है। प्रार्थना पत्र का मद नंबर 7 असत्य व बनावटी होने के कारण अस्वीकार है तथा जिसका विस्तृत जवाब प्रारम्भिक आपर्त्तिया व विशेष कथन में दर्ज है। यह कि प्रार्थना पत्र का मद नंबर 8 असत्य व बनावटी होने के कारण अस्वीकार है। जब प्रार्थी का वादग्रस्त भूमि पर प्रथम दृष्टया कब्जा ही नही है तो प्रथम दृष्टया मामला व सुविधा का संतुलन प्रार्थी के पक्ष में कानूनन नही बनता है। हमीर सिंह ने दिनांक 12–05–80 को जरिये यह कि हमीर इकरारनामा स्व. केशवराय से खसरा नंबर 46 47 48 की भूमि खरीद की थी तथा दिनांक 06–06–83 को इकरारनामा की संपूर्ण प्रतिफल राशि हमीर सिंह ने केशवराय को अदा कर खसरा नंबर 47 की रजिस्ट्री अपने हक में करवाली थी तथा सपूर्ण भूमि का विक्रय मूल्य अर्थात खसरा नंबर 46, 47, 48 का कुल विक्रय मूल्य उक्त रजिस्ट्री के समय अदा कर दिया था तथा दोनो पक्षो में यह तय हुआ था कि हमीर सिंह जब भी चाहेगा अपने हक में या अन्य किसी के हक में बाद में करवा सकेगा। यह कि दिनांक 12–05–80 से संपूर्ण भूमि पर हमीर सिंह का ही कब्जा रहा है तथा खसरा नंबर 185 जिसका पुराना खसरा नंबर 48 था उसका कुछ भाग सडक बनाने बाबत अवाप्त किया जाना था जिस कारण हमीर सिंह ने उक्त भूमि पर जगह छोडकर अपना निर्माण करवा लिया था चूंकि हमीर सिंह आसाम में निवास करता है जिस कारण भूमि अवाप्ति के समय विभाग मे उपस्थित होकर अपनी आपत्ति प्रस्तुत नही कर सका था जिसका फायदा उठाकर स्व. केशवराय की पत्नि रूकमणी देवी ने अवाप्त भूमि का मुआवजा उठा लिया जबकि रूकमणी देवी को इस बात की पूरी जानकारी थी कि स्व. केशवराय ने उक्त भूमि हमीर सिंह को बैचान कर रखी है जब हमीर सिंह को दिनाक

21–04–2014 को जानकारी हुयी तब कुछ व्यक्ति वादग्रस्त भूमि पर आये और उन्होने बताया कि वादग्रस्त भूमि के बेचान का सौदा बाजार में आया है तब है हमीर सिंह को सारी स्थिति की जानकारी हुयी और हमीर सिंह ने एक वाद पत्र बाबत अनुबंध की विशिष्ट अनुपालना एवं स्थायी निषेधाज्ञा माननीय न्यायालय न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कम 5, जयपुर में प्रस्तुत किया। यह कि अप्रार्थी– हमीर सिंह द्वारा दावा प्रस्तुत करने के पश्चात रूकमणी देवी की ओर से वकील उपस्थित आया जिसने जाहिर किया कि वादग्रस्त भूमि का बैचान रूकमणी देवी ने अवध बिहारी को कर दिया है जिस पर अप्रार्थी– हमीर सिंह ने न्यायालय में एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जिसमें वाद पत्र में अवध बिहारी को पक्षकार बनाये जाने एवं उसके हक में निष्पादित रजिस्ट्री को निरस्त करने बाबत प्रार्थना चाही जो वर्तमान में न्यायालय में लंबित है तथा सभी तथ्यो की जानकारी अवध बिहारी को भी तथा वर्तमान में जो वाद लंबित है उसकी भी पूर्णतया जानकारी अवध बिहारी को है तथा अवध बिहारी ने भी उक्त दावे में पार्टी बनने का प्रार्थना पत्र माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर रखा है जिनको छिपाते हुये प्रार्थी ने माननीय न्यायालय के समक्ष यह असत्य प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है चूंकि वर्ष 2014 से वादग्रस्त भूमि बाबत वादी द्वारा दायर वाद सिविल न्यायालय में लंबित है तथा उक्त वाद रूक्मणी देवी के विरूद्व प्रस्तुत किया गया था तथा रूकमणी देवी का देहान्त दिनांक 10.09.2016 को हो गया जिस पर हमीर सिंह द्वारा रूकमणी देवी के कायम मुकाम को पक्षकार बनाये जाने का प्रार्थना पत्र न्यायालय में प्रस्तुत कर दिया है। जो वर्तमान में लंबित है जिस कारण प्रार्थी का प्रार्थना पत्र चलने योग्य नहीं है।

अप्रार्थीगण द्वारा छायाप्रति इकरारनामा दिनांक 12.05.1980, छायाप्रति विक्रय पत्र 06.08.1983, छायाप्रति वादपत्र एडीजे –5 दिनांक 29.04.2014, प्रार्थना पत्र अवध बिहारी प्रार्थना पत्र ऑर्डर 1 नियम 10 दिनांक 23.03.2017, इस्तगासा 145 सीआरपीसी मौके की रिपोर्ट दिनांक 20.10.2016, छायाप्रति मुआवजा जारी रिपोर्ट दिनांक 29.5.2013 व प्रमाणित प्रति वाद पत्र हमीरसिंह बनाम रूकमणीदेवी पेश किये।

उपखण्ड कलक्टर
आमेर जि. जयपुर

उभयपक्ष अधिवक्ता की बहस सुनी गई बहस पर मनन किया। उभयपक्ष द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांतो का ससम्मान अवलोकन किया। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र में मुख्य रूप से कथन रहा कि अप्रार्थीगण येन–केन–प्रकारेण प्रार्थी की जमीन पर ताकत के बल पर जबरन कब्जा करने के प्रयास करते रहते है। प्रार्थी की उक्त खातेदारी की भूमि खसरा नम्बर 185 के चारों तरफ बाउण्ड्रीवाल है जिसे तोडकर अप्रार्थीगण ने दिनांक 18.10.2022 को नींव खोदकर पक्का निर्माण कार्य करना आरम्भ कर दिया जब अप्रार्थीगण के इस कृत्य पर प्रार्थी ने उन्हें ऐसा करने से मना किया तो उन्होनें प्रार्थी से लडाई झगडा करते हुए धमकी दी कि हम तो निर्माण कार्य करेगें, तुमसे रोका जा सके तो रोक लो, तुम्हें इस जमीन का शान्तिपूर्वक उपयोग उपभोग नही करने देगें। दिनांक 18.10.2022 की घटना से यह स्पष्ट हो गया कि अप्रार्थीगण येन–केन–प्रकारेण प्रार्थी की भूमि पर कब्जा करने की गरज से निर्माण कार्य कर लेगें, इस कारण प्रार्थी को अप्रार्थीगण के विरूद्ध यह वाद एवं प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करना आवश्यक हो गया है। प्रार्थी के उक्त कथनो के विरूद्ध अप्रार्थी संख्या 1, 2 का मुख्य कथन रहा कि अप्रार्थी संख्या 1, 2 ने दिनांक 25.11.2022 को जवाब प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किया जिसमें अंकित किया है कि प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र में यह तथ्य अंकित नही किया है कि दिनाक 12–05–1980 को स्व. केशव राय तिवाडी ने हमीर सिंह के साथ एक इकरारनामा निष्पादित किया था जिसमें खसरा नंबर 46, 47, व 48 कृषि भूमि स्थित ग्राम मोटू का वास तहसील आमेर जिला जयपुर को बेचान करने बाबत किया था जिसमें प्रतिफल राशि 30,000/– रूपये अक्षरे तीस हजार रूपये तय पायी थी तथा इकरारनामा के दिन 11,000/– रूपये अक्षरे ग्यारह हजार रूपये नकद प्राप्त कर लिये थे। खसरा नंबर 185 पर पूर्ण रूप से हमीर सिंह काबिज है जिसकी पुष्टि प्रार्थी द्वारा दायर शिकायत पर ए. डी. एम. जयपुर दक्षिण, के यहां लंबित 145 दण्ड प्रक्रिया संहिता में चल रही कार्यवाही से साबित होती है जिसमें ए. डी. एम. जयपुर द्वारा मौके की रिपोर्ट मंगाये जाने पर वादग्रस्त भूमि पर अप्रार्थी– हमीर सिंह का कब्जा वर्ष 1980 से बताया गया है।

सहायक कलेक्टर
आमेर द्वि. जयपुर

अप्रार्थी संख्या 1, 2 द्वारा अपने उक्त कथन के समर्थन में छायाप्रति इकरारनामा व अन्य दस्तावेजो की साक्ष्य पेश की है।

अप्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज छायाप्रति इकरारनामा दिनांक 12.05.1980, छायाप्रति विक्रय पत्र 06.08.1983, छायाप्रति वादपत्र एडीजे –5 दिनांक 29.04.2014, प्रार्थना पत्र अवध बिहारी प्रार्थना पत्र ऑर्डर 1 नियम 10 दिनांक 23.03.2017, इस्तगासा 145 सीआरपीसी मौके की रिपोर्ट दिनांक 20.10.2016, छायाप्रति मुआवजा जारी रिपोर्ट दिनांक 29.5.2013 व प्रमाणित प्रति बाद पत्र हमीरसिंह बनाम रूक्मणीदेवी से स्पष्ट है कि प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र में प्रस्तुत कथन अभिवचन विरोधाभासी है। न्यायालय अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट जयपुर दक्षिण के मुकदमा नम्बर 09 / 2016 बउनवानी सरकार बनाम हमीर सिंह मे सक्षम न्यायालय द्वारा थानाधिकारी हरमाडा से धारा 145 सीआरपीसी की रिपोर्ट चाही गयी थी। थानाधिकारी पुलिस थाना हरमाडा जयपुर द्वारा प्रस्तुत इस्तगासा 145 सीआरपीसी व मौके की रिपोर्ट दिनांक 20.10.2016 में विवादित आराजी पर मौके पर कब्जा अप्रार्थीगण का बताया गया है। प्रार्थी विवादित आराजी पर अपना कब्जा साबित नहीं कर पाये। इसलिए प्रथम दृष्टया मामला साबित नही होता है, ना ही सुविधा का संतुलन एवं अपूर्तनीय क्षति के तथ्य प्रार्थी के पक्ष में साबित होते है। यद्यपि मूलवाद का निस्तारण उभपक्षकारान को विस्तृत रूप से सुना जाकर तथा साक्ष्यों के दृष्टिगत किया जाना है जो कि हस्तगत प्रार्थना पत्र के हाल निर्णय से किसी भी रूप में तथा किसी भी प्रकार से प्रभावित नहीं है, परन्तु प्रस्तुत तथ्यों, तर्कों व दस्तावेजो के अनुसार वर्तमान परिप्रेक्ष्य में प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थी के पक्ष में प्रतीत नहीं होता है। फलस्वरूप प्रार्थना पत्र अस्वीकार किया जाकर प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा खारिज किया जाता है।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

सहायक कलक्टर
आमेर मु0 जयपुर